न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—292/2013/223 (2013/00112)

1. नाथू,
2. रोडू,

पुत्रान सुवाराम, जाति खटीक, निवासीगण ग्राम साखून, तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. केसरराम पुत्र कानाराम, जाति खटीक, नि0 साखून, ततह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. राज्य सरकार जरिये तहसलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. सरपंच ग्राम पंचायत साखून, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 30.5.2012 अंतर्गत वाद संख्या 219/2011.

उपस्थितः—

1. श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मंजूर अली, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार, रेस्पो0 संख्या 2.
4. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—30.8.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2012 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 2 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल खसरा नंबर 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 के साबिक खसरा नंबर 1768, 1771, 1772, 1773, 1766, 1767 थे, जिसमें वर्तमान नंबरान के नक्शे को साबिक खसरा नंबरान के नक्शे से भिन्न तरमीम कर दिया गया है, इस तथ्य की जानकारी वादी को दिनांक 29.6.2013 को होना दर्शाते हुए तरमीम दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2012 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से अंसतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही तथा कथन किया कि अपीलांटस खसरा नंबर 1088 जो गै0मु0 आबादी है, में अपने पट्टे दिनांक 6.9.1984 के अनुसार काबिज है

एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2012 द्वारा उक्त खसरा नंबर के उस भाग की तरमीम जहां अपीलांटस काबिज है, परिवर्तित कर दिया गया है जिससे अपीलांटस अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित होते है इसलिये उन्हें अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4. अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं था जिससे उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.7.2013 को रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपीलांटस को यह कहे जाने पर कि विवादित भूमि मेरी है, इस पर से तुम्हारा कब्जा हटाऊंगा तब हुई । तत्पश्चात् अपीलांटस ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गोर नहीं किया कि जो खसरा नंबर 1088 प्रभावित हो रहा है एवं जो ग्राम पंचायत में निहित है, वर्तमान में उक्त आराजियात किसके कब्जे मे है, उक्त आराजियात का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 6.9.1984 को ही अपीलांटस के पक्ष में जारी हो चुका था, एवं अपीलांटस ही उस पर काबिज है, ऐसी स्थिति में अपीलांटस को बिना सुने उक्त भू–भाग के संदर्भ में कोई भी निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था परन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 में पटवारी हल्का ने अपने बयान में यह कथन किया है कि हाल खसरा नंबर व साबिक खसरा नंबर का नक्शा लट्ठे पटवार में कोई भिन्नता नहीं है । ऐसी स्थिति में नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं बयानों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि असल अधिकार विलेख के सही होने की परिकल्पना की जावेगी एवं नकल में त्रुटि हो सकती है, ऐसी स्थिति में असल अधिकार विलेख में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गोर नहीं किया कि जो नया नक्शा तरमीम किया जा रहा है उसमें रेस्पों0 संख्या 1 का कब्जा नहीं है बल्कि अपीलांटस का कब्जा है एवं अपीलांटस आज भी मौके पर काबिज है । ऐसी स्थिति में अपीलांटस को सुने बिना व मौके की वास्तविक स्थिति जाने नक्शे में परिवर्तन करने के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2012 अपास्त किया जावे।

6. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजियात पर सेटलमेंट सन् 1950 सवंत् 2006 के नक्शे अनुसार मौके पर काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है किन्तु हाल ही में जो नया सेटलमेंट हुआ जिसमें रकबा बीघा से हैक्टेयर में परिवर्तन किया गया है तथा तरमीम करते समय सेटलमेंट कर्मचारियों ने नक्शे में नवीन तरमीम करते हुए साबिक नक्शा से भिन्न नक्शा बनाते हुए रकबा कम कर दिया। सेटलमेंट विभाग को नक्शे में परिवर्तन करने तथा रकबे में कमी–बेसी

करने का अधिकार नहीं है । उक्त त्रुटि सेटलमेंट विभाग द्वारा लिपिकीय भूलवश हुई है जो दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होने तथा साबिक एवं नवीन नक्शे में भिन्नता पाये जाने से अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील अपास्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि अपीलांटस खसरा नंबर 1088 गै0मु0 आबादी में काबिज है तथा अपीलांटस को दिनांक 6.9.1984 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है तथा पट्टे के अनुसार काबिज है। अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रथमदृष्टया प्रकट होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. प्रकरण के तथ्यों से प्रथमदृष्टया विवादित आराजियाता में अपीलांटस का हित प्रकट होता है । अपीलांटस के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा विवादित आराजी खसरा नंबर 1088 में दिनांक 6.9.1984 को पट्टा भी जारी किया तथा उक्त पट्टे के आधार पर अपीलांटस विवादित आराजी पर काबिज काश्त होना बताया है । वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष तरमीम दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था । अपीलांटस विवादित आराजियात का पड़ौसी काबिज है जिसे सुना जाना आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को तरमीम दुरूस्ती के प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार कायम किये बिना तथा बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। हम न्यायहित में अपीलांटस को अधी0न्याया0 के समक्ष साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना न्यायाचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2012 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2012 को अपास्त किया जाकर प्रकरण निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांटस को वाद में आवश्यक पक्षकार नियुक्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज 30.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर